

पुलिस और हम

अपराध, कानून, सुरक्षा और पुलिस—इन सबका आपस में गहरा संबंध है। कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। पुलिस हमारे अधिकारों की हिफाजत के लिए। पर पुलिस की पूरी मदद लेने के लिए दो बातें जरूरी हैं—यह जानना कि पुलिस संबंधी अधिकार क्या हैं और पुलिस की कार्यवाही में सहयोग देना।

तो आइए देखें हमारे अधिकार क्या हैं?

गिरफ्तारी

रमणी के घर एक दिन पुलिस आई। कहा उसके खिलाफ़ थाने में शिकायत दर्ज़ है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। ऐसे में रमणी के क्या अधिकार हैं?

- गिरफ्तार करते समय पुलिस बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और आपका जुर्म क्या है?
- गिरफ्तारी के समय आपसे ज़ोर-जबर्दस्ती करना गैर-कानूनी है।
- कुछ खास अपराधों में आपको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।
- आपको वकील से कानूनी सलाह लेने का हक़ है।
- आपके पहचान वालों और रिश्तेदारों को आपके साथ थाने जाने का हक़ है।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे के अंदर कचहरी में पेश करना जरूरी है।

- बिना कचहरी की इजाज़त के किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर-कानूनी है।
- पुलिस आपको यह भी बताएगी कि आपके जुर्म की जमानत हो सकती है या नहीं।

हिरासत

नज़मा को नशीली दवा बेचने के इल्ज़ाम में थाने में हिरासत में रखा है। वहां पर कोई महिला पुलिस भी नहीं है। हिरासत में नज़मा के क्या हक़ होंगे?

- पुलिस हिरासत में मारपीट, छेड़खानी और किसी भी तरह की यातना देना संगीन जुर्म है।
- अगर पुलिस का ही कोई अधिकारी आपको सताए तो उसका नाम, पता, और हुलिया देकर उसके खिलाफ़ रपट लिखवाई जा सकती है।
- हिरासत में अगर आपके साथ मारपीट होती है तो आप डॉक्टरी जांच की मांग करें। घटना की शिकायत आप मजिस्ट्रेट से भी कर सकती हैं।
- महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से अलग हिरासत में रखा जाएगा।
- अगर आप स्त्री हैं तो आपकी गिरफ्तारी और हिरासत के समय महिला पुलिस मौजूद होनी चाहिए।

जमानत

ऊषा को चोरी के इल्जाम में थाने में बंद कर दिया गया। उसका भाई उसकी जमानत देने आया। पर जमानत होगी कैसे?

जमानत का मतलब होता है कि मामले की सुनवाई के दौरान हिरासत में लिए व्यक्ति को कुछ बातों के लिए वचनबद्ध करके छोड़ा जा सकता है। जमानत के लिए:

- मजिस्ट्रेट को अर्जी देनी होगी। अर्जी पर किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के दस्तखत कराकर जमानत मिल सकती है। जमानत करते समय कोई रकम नहीं दी जाएगी। इस रकम को जमानत पत्र में लिख दिया जाएगा। साथ में दो व्यक्तियों को गवाही देनी होगी कि ज़रूरत पड़ने पर आप कोर्ट या पुलिस में हाज़िर होंगे। पर अगर आपका जुर्म संगीन है या फिर आपकी जान को खतरा होने पर आपकी जमानत नामंजूर हो सकती है।



पूछताछ

श्यामा के पड़ोस में खून हो गया। पूछताछ के लिए पुलिस ने श्यामा को बुलाया। श्यामा ने रात के समय हवलदार के साथ जाने से मना किया। ऐसा क्यों?

- आपको पूछताछ के लिए बुलाने के लिए पुलिस को लिखित आदेश देना होगा।
- 15 साल से कम महिला या पुरुष को थाने नहीं बुलाया जा सकता।
- पूछताछ के समय आप किसी दोस्त या वकील की मदद ले सकती हैं।
- पूछताछ के लिए आपको थाने में नहीं रखा जा सकता।
- जबर्दस्ती कोई बयान देने को या फिर जवाब देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता।

तलाशी

राधा का कीमती हार चोरी हो गया। पुलिस ने रानी की, जो राधा की नौकरानी है, तलाशी लेनी चाही। ऐसे में रानी के क्या हक हैं?

- सिर्फ महिला पुलिस ही महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है।
- पुलिस आपके दुकान या मकान की तलाशी ले सकती है। इसके लिए हमेशा वारंट की जरूरत नहीं होती।
- तलाशी के पहले, तलाशी लेने वालों की भी तलाशी ली जा सकती है।
- दो गवाहों का तलाशी के समय मौजूद होना जरूरी है।
- तलाशी का एक पंचनामा बनाया जाता है। इसकी एक प्रति आपको दी जानी चाहिए।

रपट

शैला जिस मुहल्ले में रहती है, उस मुहल्ले के कुछ मनचले लड़के उसे छेड़ते हैं। शैला इस मामले में पुलिस से क्या मदद ले सकती है।

- आप फौरन पुलिस में जाकर प्रथम सूचना रपट लिखवाएं।
- अगर पुलिस रपट लिखने से मना करे तो आप घटना पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को लिखें या बताएं। उनके ना सुनने पर लिखित जानकारी मजिस्ट्रेट को दें। मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच का आदेश जारी करेंगे।

महिला पुलिस स्टेशन

हिंसा कोख से लेकर कब्र तक, किसी न किसी रूप में हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती है। हिंसा से डर लगता है। मन और शरीर को चोट पहुंचती है। दुख होता है। हिंसा के दो मुख्य रूप हैं— मानसिक और शारीरिक। हिंसा के कुछ ऐसे रूप हैं जो केवल औरतों के साथ होते हैं। यह हैं यौनिक हिंसा जैसे बलात्कार, मारपीट, दहेज हत्या आदि।

इस समस्या से निदान पाने और औरतों की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से बलात्कार, दहेज हत्या और छेड़खानी की वारदातों में सत्तर प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इनमें काफी वारदातें पुलिस तक पहुंचती ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मर्द पुलिस अफसर औरतों पर होने वाली हिंसा को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझ नहीं पाते। इसलिए पूरी तरह औरतों द्वारा चलाया जाने वाला

प्रथम सूचना रपट कैसे लिखवाएं

- प्रथम सूचना रपट लिखित या जुबानी हो सकती है।
- अगर आप लिख नहीं सकती तो पुलिस को जुबानी बताएं। पुलिस उसे लिखकर आपको पढ़कर सुनाएगी।
- रपट में सब ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए जैसे आपका नाम, पता, अपराध का ब्यौरा, अपराधी का हुलिया, वारदात आदि।
- रपट लिखवाते समय आप किसी व्यक्ति को साथ ले जाएं।
- पूरी तसल्ली होने पर रपट पर दस्तखत करें और उसकी एक प्रति ले लें।

साभार : मार्ग द्वारा प्रकाशित
'हमारे कानून'

यह पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है।

यह पुलिस स्टेशन लखनऊ की हजरतबल कोतवाली के पास है। लखनऊ के उन्नीस पुलिस थाने इसके साथ जुड़े हैं। इस स्टेशन की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हैं सुश्री तनूजा श्रीवास्तव जो भारतीय पुलिस सेवा में अफसर हैं। इस थाने में बीस सब-इंस्पेक्टर, तीन हेड कांस्टेबल, 67 कांस्टेबल, दो ड्राइवर और पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

इस स्टेशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है औरतों पर होने वाले अत्याचारों को महिला पुलिस की मदद से सुलझाकर, अपराधियों को सज़ा दिलवाना।

इस थाने से प्रेरणा लेकर देश के दूसरे प्रदेशों में भी महिला पुलिस स्टेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। □